



ICMR ने स्वास्थ्य क्षेत्र में AI के उपयोग के लिये दशा-नरिदेश जारी किये

प्रलम्ब के लिये:

ICMR, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

मेन्स के लिये:

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में AI के उपयोग के लिये नैतिक दशा-नरिदेश, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में AI के उपयोग से संबंधित चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) ने "जैव चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में AI के क्रियान्वयन के लिये नैतिक दशा-नरिदेश" शीर्षक से एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ जारी किया है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्रियान्वयन के लिये 10 प्रमुख रोगी-केंद्रित नैतिक सिद्धांतों की रूपरेखा नरिदशित करता है।

- नदान और स्क्रिनिंग, चिकित्सीय, नवारक उपचार, नैदानिक नरिणय लेने, सार्वजनिक स्वास्थ्य नगरानी, जटिल डेटा विश्लेषण, बीमारी के परिणामों की संभावनाओं का विश्लेषण, व्यावहारिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तथा स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली स्वास्थ्य देखभाल के AI के मान्यता प्राप्त अनुप्रयोगों के अंतरगत आते हैं।

10 मार्गदर्शक सिद्धांत:

- **जवाबदेही और दायित्व सिद्धांत:** यह AI प्रणाली के इष्टतम कामकाज को सुनिश्चित करने के लिये नियमि आंतरिक और बाह्य ऑडिट के महत्त्व को रेखांकित करता है जसि जनता के लिये उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- **स्वायत्तता सिद्धांत:** यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली के कामकाज और प्रदर्शन की मानवीय नगरानी सुनिश्चित करता है। कसि भी प्रक्रिया को शुरु करने से पहले रोगी की सहमति प्राप्त करना भी महत्त्वपूर्ण है, जसिमें रोगी को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक जोखिमों के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिये।
- **डेटा गोपनीयता सिद्धांत:** यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित प्रौद्योगिकी के विकास और परिनियोजन के सभी चरणों में गोपनीयता तथा व्यक्तित्व डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **सहयोग सिद्धांत:** यह सिद्धांत अंतःवषियक, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वभिन्न हतिधारकों को शामिल करने वाली सहायता को प्रोत्साहित करता है।
- **सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण सिद्धांत:** यह सिद्धांत "अनपेक्षित या जान-बूझकर दुरुपयोग" को रोकने के उद्देश्य से वैश्विक प्रौद्योगिकी से गुणनाम डेटा को साइबर हमले से बचाने और अन्य क्षेत्रों के कसि मेज़बान के बीच एक नैतिक समतिद्वारा अनुकूल लाभ-जोखिम मूल्यांकन को रोकने के लिये है।
- **अभिम्यता, समानता और समावेशिता सिद्धांत:** यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का परिनियोजन उपयुक्त अवसरचनात्मक ढाँचे की व्यापक उपलब्धता को मानती है। इस प्रकार इसका लक्ष्य डिजिटल वभिद को पाटना है।
- **डेटा ऑप्टिमाइज़ेशन:** खराब डेटा गुणवत्ता, अनुचित और अपर्याप्त डेटा प्रस्तुतियों से AI तकनीक की कार्यप्रणाली पूर्वाग्रह, भेदभाव, त्रुटियों और उप-इष्टतम परिणामों से युक्त हो सकती है।
- **गैर-भेदभाव और नषिकषता सिद्धांत:** एलगोरदिम में पूर्वाग्रहों और अशुद्धियों से बचने तथा गुणवत्तापूर्ण AI प्रौद्योगिकियों को सार्वभौमिक उपयोग के लिये डिज़ाइन किया जाना चाहिये।
- **वशिवसनीयता:** AI का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिये चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को AI प्रौद्योगिकियों की वैधता तथा वशिवसनीयता का परीक्षण करने के लिये एक सरल, व्यवस्थित तथा भरोसेमंद तरीका होना चाहिये। स्वास्थ्य डेटा का सटीक विश्लेषण प्रदान करने के अलावा एक भरोसेमंद AI-आधारित समाधान भी वैध, नैतिक, वशिवसनीय और मान्य होना चाहिये।

नोट: भारत में कई ढाँचे हैं जो स्वास्थ्य सेवा के साथ तकनीकी प्रगतिसि मेल खाते हैं। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017), स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (दशा), 2018 में डिजिटल सूचना सुरक्षा और चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिये डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण शामिल हैं।

नषिकरष:

कृत्रमि बुद्धमिर्ता द्वारा लयि गए नरिणर्यो हेतु जवाबदेह नही ठहराया जा सकता है,इसलरयि कृत्रमि बुद्धमिर्ता प्रोदयोगकरिथी के वकरिस और स्वासथ्य सेवा में इसके अनुप्रयोग को नरिदेशति करने के लरयि नैतिकि प्रभावी नीति ढाँचा आवश्यक है। इसके अलावा जैसा क कृत्रमि बुद्धमिर्ता प्रोदयोगकरिथी आगे वकरिसति होती हैं, साथ ही नैदानकि नरिणय लेने में उपयोग की जाती हैं, तो रक्षा एवं सुरक्षा हेतु तरुटरिथी की स्थति में जवाबदेही पर वचिर करने वाले प्रोटोकॉल का होना महत्त्वपूर्ण है।

[सुरोत: डाउन टू अरथ](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/icmr-release-guidelines-for-ai-use-in-the-health-sector>

